

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक -रीडर/ 2022/350

दिनांक :- 25.5.2022

मुकदमा नंबर 60/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्री मामडियाई गौषाला सेवा समिति आकडली बक्सीराम, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर जरिये अध्यक्ष वेदानन्द सरस्वती, उम्र 70 वर्ष जाति साधु, निवासी आकडली बक्सीराम, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।		1. रामाराम पुत्र अचलाराम 2. ताजाराम पुत्र अचलाराम 3. नारणाराम पुत्र अचलाराम 4. चेनाराम पुत्र गोकलाराम 5. देवाराम पुत्र गोकलाराम 6. रावताराम पुत्र गिरधारीराम 7. प्रेमराम पुत्र टीकमाराम 8. केशाराम पुत्र कुंभाराम 9. गोदुराम पुत्र कुंभाराम 10. तिजोदेवी पत्नी स्व. कुंभाराम 11. खेताराम पुत्र भैराराम जातियान जाट, नि0 साजियाली, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर, हाल निवासी पातियाली, तहसील बायतु जिला बाडमेर। 12 गोविन्दसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी बी.जे.एस. कॉलोनी - जोधपुर 12. भीमसिंह पुत्र ताराराम जाति खारवाल, निवासी पचपदरा, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

आदेश

दिनांक :- 25.5.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आकडली बक्सीराम पटवारी क्षेत्र आकडली भू-निरीक्षक साजियाली तहसील पचपदरा में खेत खसरा न0 141/93 रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 142/93 रकबा 30 बीघा में अवस्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की भूमि के (नक्शा लट्टा ट्रेस) की तरमीम के आधार पर पक्की नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी

दिनांक :- बालोतरा 25/5/2022

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 351

1. तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

